न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 19/2018

बउनवान

1. परसराम आयु 57 वर्ष पुत्र श्री ओंकार जाति मीणा निवासी सुन्दलक तह0 व जिला बारां
2. अणदी आयु 64 वर्ष पुत्री श्री ओंकार पत्नी गोपाल मीणा निवासी सुन्दलक तहसील व जिला बारां

(अपीलांटगण)

बनाम

1. आनन्दीलाल आयु 72 वर्ष पुत्र ओंकार जाति मीणा निवासी बमूलिया गजनपुरा
2. कल्याण आयु 67 वर्ष पुत्र ओंकार जाति मीणा निवासी बमूलिया गजनपुरा
3. पुष्पा आयु 74 वर्ष पुत्री ओंकार पत्नी प्रभूलाल जाति मीणा निवासी सुन्दलक तहसील बारां जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध नामान्तरण कमांक 870 दिनांक 23.05.2018 ग्राम सुन्दलक तहसीलदार बारां अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

जिला कलेक्टर बारां (राज0)

उपस्थिति :– 1. श्री ओमप्रकाश खंडेलवाल एडवोकेट (अपीलांटगण)
2. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी एडवोकेट (रेस्पोडेन्टगण)

निर्णय दिनांक 20.01.2023

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम सुन्दलक, का रेस्पो0 के मध्य बंटवारा कर अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है जो विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजी का खाता संख्या 9 में कल्याण पुत्र ओंकार का हिस्सा 1/5 तथा अपीलांट परसराम का हिस्सा 4/5 दर्ज था तो कि रेस्पोडेन्ट कम 4 द्वारा इंतकाल नंबर 796 दिनांक 04.07.2016 से सहखातेदारान आननदीलाल पुत्र ओंकार, पुष्णा पुत्री ओंकार व अणदी पुत्री ओंकार के द्वारा अपीलांट परसराम के पक्ष में रजि0 हक त्याग दिनांक 31.05.2016 को करने पर उसके आधार पर खोले गये नामांतकरण द्वारा परसराम के खाते दर्ज हो चुका था। पटवारी हल्का ने उक्त तथ्य को छिपाते हुए रेस्पो0 के नाम बंटवारे का विवादित नामा0 तस्दीक कर दिया जबकि दिनांक 23.05.2018 को रेस्पो0 का नाम सहखातेदारी में दर्ज नहीं था। न्याया0 एस.डी.ओ. बारां द्वारा दिया गया बंटवारे का निर्णय व डिकी का उद्देश्य सहखातेदारान द्वारा अपीलांट के पक्ष में अपना हक त्याग कर रजि0 हक त्याग पत्र के निष्पादन के उपरान्त [illegible] गया था केवल मात्र रेस्पो0 कम 2 कल्याण का ही हिस्सा अलग किया जाना था शेष रेस्पो0 का हिस्सा अपीलांट कम 1 के हक में हक त्याग हो जाने से अपीलांट कम 1 के [illegible] लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने यह तथ्य माननीय एस.डी.ओ. को [illegible] नहीं किया। अपीलांट [illegible] में किया गया हक तर्कनामा आज भी विधिक मान्यता प्राप्त [illegible] जिसको निरस्त किये [illegible] रेस्पोडेन्टगण द्वारा समस्त तथ्यों को छिपाते हुए विवादित नामान्तरकरण तस्दीक कराकर अपीलांट का नाम विवादित भूमि से हटा कर अपना नाम दर्ज करा लिया जो निरस्तनीय है। अपीलांट की दोनों बहनो ने न तो रजिस्टर्ड हक त्याग के विरूद्ध कोई कार्यवाही की और ना ही नामा0 संख्या

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.13 12:07:48 IST
Reason: SelfAttested

796 के विरूद्ध कोई कार्यवाही की और न उन्होने अपना हिस्सा पृथक कराने बाबत कभी कोई वाद ही प्रस्तुत किया। कथित वाद मात्र रेस्पो0 कम 2 द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था जिसका 1/5 हिस्सा ही आराजी में था जिसके विषय में कोई विवाद नहीं था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने सभी हक त्याग करने वालों का भी हिस्सा पृथक कर दिया जो निरस्तनीय है। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 870 दिनांक 23.05.2018 निरस्त किया जाकर अपीलांट कम 1 का राजस्व जमाबंदी में 4/5 हिस्सा भूमि पूर्वानुसार ही दर्ज किए जाने का निर्णय पारित फरमावें।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तलब करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। रेस्पो0 कम 3 रजिस्टर्ड तलबी उपरान्त भी अनुपस्थित रही। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया। हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण 1 ता 3 के संयुक्त खाते की आराजी थी। अपीलांट कम 2 तथा रेस्पोडेन्ट कम 1 व 3 ने दिनांक 31.05.2016 को रजिस्टर्ड हक त्याग अपीलांट कम 1 के पक्ष में कर दिया था। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 796 दर्ज होकर दिनांक 20.07.2016 को स्वीकृत हो गया था। रेस्पो0 कम 2 द्वारा प्रस्तुत वाद में रेस्पोडेन्टगण ने उक्त तथ्य को छिपाते हुए बटवारा करवा लिया। तथा रेस्पो0 कम 4 ने उक्त वाद में पारित निर्णय/डिकी की पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 870 दिनांक 23.05.2018 स्वीकृत कर आराजीयात का समस्त पक्षकारान के मध्य 1/5-1/5 हिस्से अनुसार विभाजन कर दिया जबकि हकत्याग पश्चात नामान्तरकरण संख्या 796 दिनांक 20.07.2016 अनुसार विवादित आराजीयात में अपीलांट कम 1 का हिस्सा 4/5 व रेस्पो0 कम 2 का 1/5 हिस्सा ही निहित था। अपीलांट द्वारा हक त्याग बाबत सिविल न्यायालय में कार्यवाही की हुई है। अतः नामान्तरकरण संख्या 870 दिनांक 23.05.2018 निरस्त किया जाकर अपीलांट कम 1 का राजस्व जमाबंदी में 4/5 हिस्सा भूमि पूर्वानुसार ही दर्ज किए जाने का आदेश फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टगण ने कथन किया कि अपीलांटगण द्वारा अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.ए. अपील पेश की है जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पारित निर्णय/डिकी की पालना में खोला गया है। अपीलांटगण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पारित निर्णय/डिकी के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी जो उनके द्वारा नहीं की गई। जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारां द्वारा पारित निर्णय/डिकी सेट असाईड नहीं हो जाती तब तक निर्णय/डिकी के आधार पर खोले गये इन्तकाल के विरूद्ध अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अपीलांट कम 2, रेस्पो0 कम 1 व 3 द्वारा विवादित आराजीयात में अपना हक अपीलांट कम 1 के पक्ष में त्याग

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.13 12:07:48 IST
Reason: SelfAttested

जर्ये रजिस्टर्ड हकत्याग करना साबित होता है। उक्त हक त्याग के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 796 दिनांक 20.07.2016 को तस्दीक किया गया जिसमें अपीलांट संख्या 1 का 4/5 हिस्सा व रेस्पो0 क्रम 2 का 1/5 हिस्सा विवादित आराजीयात में दर्ज किया गया। किन्तु प्रश्नगत नामान्तरकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा पारित निर्णय के आधार पर खोला गया है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के निर्णय को सक्षम न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी गई है। अपीलांट का कथन है कि हक त्याग के तथ्य को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में पेश नहीं किया गया। परन्तु उक्त तथ्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में पेश करने की जिम्मेदारी उनकी स्वंय की थी। इससे उनको इस प्रकरण में कोई लाभ नहीं मिलता। अपीलांट रजिस्टर्ड हक त्याग के खिलाफ सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होना बताते हैं। परन्तु जब तक उक्त न्यायालय से इसका निर्णय नहीं होता तब तक इस प्रकरण में उसका कोई असर नहीं पड़ता।

चूंकि प्रश्नगत नामान्तरकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के निर्णय के आधार पर खोला गया है तथा उक्त निर्णय के खिलाफ अपीलांटगण द्वारा कोई चाराजोही नहीं की गयी है। ऐसी स्थित में अपीलाधीन नामान्तरकरण में कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

उक्त विवेचन अनुसार अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.13 12:07:48 IST
Reason: SelfAttested